फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

सुभाष चन्द शर्मा बनाम लो.सू.अधि. उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 88 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.12.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्रीराम चन्द शर्मा की अपील लोक सूचना अधिकारी **उपखण्ड अधिकारी भरतपुर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6 के तहत मूल प्रार्थना पत्रों (आरटीआई मूल आवेदन पत्र) की फोटो प्रति संलग्न नहीं की गई है। सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत अपील के साथ समस्त दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जाने आवश्यक है। अतः अपीलार्थी को प्राप्त मूल अपील को लौटाते हुए लिखा जावे कि वह अपील के साथ आरटीआई का मूल प्रार्थना पत्र आदि दस्तावेजात संलग्न कर पुनः अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। **जिला कलक्टर** **भरतपुर**	1044 19/12/25 मूल अपील वापिस भेजी